प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 27 मई, 2021***

विषय नारी बन्दी निकेतन, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी कान्ती पत्नी श्री गुलाब साव, निवासी जनपद-वाराणसी की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-27411/प्रोबे0-5-दया0 बैठक 28-09-2020 दिनांक 02-11-2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार नारी बन्दी निकेतन, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी कान्ती पत्नी श्री गुलाब साव जो ग्राम-दानगंज, थाना-चोलापुर, जनपद-वाराणसी की रहने वाली है। महिला बन्दी द्वारा दहेज में सोने की सीकड़ी की मांग को लेकर दिनांक 10.07.2004 को 01 अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर बहू को जला कर हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु महिला बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1002/2004 में भा0द0वि0 की धारा-498ए, 304बी एवं धारा-3 व 4 डी0पी0 एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश, आवश्यक वस्तु अधिनियम, वाराणसी के आदेश दिनांक 27.08.2008 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। महिला ०बन्दी द्वारा दिनांक 23.09.2020 तक 12 वर्ष, 05 माह, 21 दिन की अपरिहार सजा तथा 16 वर्ष, 06 माह, 00 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा महिला बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है किन्तु दयायाचिका समिति द्वारा महिला बन्दी कान्ती पत्नी श्री गुलाब साव की आयु, कारित जघन्य अपराध की प्रकृति के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की **संस्तुति नहीं** की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि नारी बन्दी निकेतन, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी कान्ती (बन्दी संख्या-2183) पत्नी श्री गुलाब साव, निवासी जनपद-वाराणसी की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-69/2021/1056(1)/22-2-2020 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-वाराणसी।
2- अधीक्षक, नारी बन्दी निकेतन, लखनऊ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in